परियोजना के कार्य सम्पादन हेतु Standard Operating Procedure (SOP)

1. निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रशासकीय विभाग के स्तर पर निम्नलिखित विषयों पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी :–

   - निर्माण हेतु समस्त भार से मुक्त भूमि उपलब्ध कराना।
   - कार्यस्थल पर यदि मिट्टी भरान आवश्यक हो, तो जिलाधिकारी की सक्षम कमेटी से अनुमोदन प्राप्त करना।
   - यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करना।
   - परियोजना कार्यान्वयन हेतु यदि किसी पुराने भवन का ध्वस्तीकरण आवश्यक है, तो उसके सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन तथा शासनादेश सं0 158/2023/993/23–5–23–50(40)ईजी/08 दिनांक 12.09.2023 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
   - वृक्षों के पातन हेतु वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करना।

2. पी0एम0सी0 द्वारा Local Body Clearance, Fire Safety Clearance, E.I.A. Clearance तथा अन्य वांछित Clearances का कार्य कान्सेप्ट प्लॉन के अनुमोदित होते ही प्रशासकीय विभाग के सहयोग से प्रारम्भ करते हुए Date of Start (Appointment Date) से पूर्व पूर्ण कराया जायेगा। तत्पश्चात ई0पी0सी0 ठेकेदार को सक्षम स्तर से Date of Start (Appointment Date) प्रदान की जायेगी।

3. प्रथम श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी की समर्पित ईकाई/भवन खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, इन्जीनियर–इन–चार्ज का दायित्व निभायेंगे।

4. निर्माण कार्य का नियमित अनुश्रवण अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज द्वारा पी0एम0सी0 की सहायता से किया जायेगा।

5. परामर्शी द्वारा प्रदत्त आर्किटेक्चरल प्लानिंग तथा मूलभूत इन्जीनियरिंग के आधार पर ई0पी0सी0 कॉन्ट्रेक्टर द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग का कार्य कराया जायेगा तथा अपनी ड्राइंग एवं डिजाईन आई0आई0टी0 कानपुर, दिल्ली, रूड़की, आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 अथवा एन0आई0टी0 प्रयागराज से अनुमोदित (Proof Checked) कराते हुए इन्जीनियर–इन–चार्ज को प्रस्तुत किया जायेगा। इन्जीनियर–इन–चार्ज एवं उनके अधीनस्थों द्वारा पी0एम0सी0 की

सहायता से कार्य हेतु अनुबन्धित ठेकेदार से विभिन्न चरणों में कार्यकारी ड्राइंग प्राप्त कर परीक्षण एवं निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों, कार्य विधि इत्यादि से सम्बन्धित तकनीकी एवं गुणवत्ता परीक्षणों का कार्य किया जायेगा।

6. परियोजना की नियमित समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा प्रतिमाह सम्बन्धित राजकीय निर्माण एजेन्सी की मण्डल स्थर पर उपलब्ध उच्चतम अधिकारी के साथ समीक्षा की जायेगी।

7. ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता हेतु थर्ड पार्टी तकनीकी आडिट अनुबन्ध में निर्धारित व्यवस्थानुसार कराया जायेगा। थर्ड पार्टी आडिट का प्ररूप सुलभ संदर्भ हेतु संग्लन है **(संलग्नक–1)**।

8. कार्यो के स्टेज एप्रूवल के सम्बन्ध में RFI (Request for inspection) का पालन परियोजना में किया जायेगा। RFI तथा Quality Test का अनुश्रवण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज, पी0एम0सी0 एवं सहायक अभियन्ता द्वारा भी किया जायेगा।

9. समस्त निर्माण कार्यो में Electronic Measurement Book (eMB) की व्यवस्था रहेगी।

10. भवन निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने हेतु सुरक्षात्मक कार्यों का निर्धारण एवं प्रयोग किये जाने हेतु ड्राइंग्स एवं ले–आउट का परीक्षण एवं अनुमोदन इन्जीनियर–इन–चार्ज द्वारा पी0एम0सी0 की सहायता से किया जायेगा।

11. भवन परियोजना के हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 178/2023/आई–411903/901/23–5–2023–27(सा0)/2022 दिनांक 20.10.2023 का अनुपालन किया जायेगा।

12. परियोजना की सम्भावित पूर्णता तिथि से क्रमशः 03 माह एवं 01 माह पूर्व लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। तदानुसार प्रशासकीय विभाग भवन/परियोजना के उपयोग में लाने की पूर्ण कार्ययोजना तैयार करेगें।

13. ई0पी0सी0 ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होते ही पी0एम0सी0, अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज एवं मुख्य अभियन्ता को अवगत कराया जायेगा। कार्य पूर्णता का नोटिस प्राप्त होते ही 07 दिवसों के अन्दर अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज, पी0एम0सी0 के साथ कार्य का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगें। यदि निर्माण में कोई कमी पायी जाती है तो उसका अविलम्ब निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

14. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज प्रशासकीय विभाग के नामित प्रतिनिधि को भवन की इन्वेन्ट्री अनुरक्षण ड्राईंग सहित 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराते हुए भवन हस्तानान्तरण का अनुरोध करेगें।

15. प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण में यदि कोई कमियाँ पाई जाती हैं तो एक माह के अन्दर समस्त कमियों से एक बार में ही अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज को अवगत कराया जायेगा। यदि एक माह में कोई कमी इंगित नहीं की जाती है तो भवन को स्वतः हस्तगत माना जायेगा एवं तदानुसार प्रशासनिक विभाग को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

16. यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा कमियाँ इंगित की जाती हैं तो पी0एम0सी0 द्वारा ई0पी0सी0 ठेकेदार से इंगित कमियों का यथाशीघ्र निराकरण कराते हुए अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज को अवगत कराया जायेगा तथा उनके द्वारा अविलम्ब प्रशासकीय विभाग से भवन हस्तगत हेतु पुनः अनुरोध किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्तर्गत सन्तुष्ट होते हुए भवन को हस्तगत किया जायेगा।

17. ई0पी0सी0 ठेकेदार के संतोषजनक कार्य पूर्ण करने पर, पी0एम0सी0 की संस्तुति के आधार पर अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करेगें।

18. ई0पी0सी0 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत As built drawings तथा Standard Measurement Book (SMB) का अनुमोदन एवं निर्मित भवन में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व ई0पी0सी0 ठेकेदार का तथा उसके अनुमोदन की जिम्मेदारी पी0एम0सी0 की होगी।

उपरोक्त प्रक्रिया को चरणवार निम्नानुसार विभक्त किया जाना समीचीन है:–

प्रथम चरण– पी0ए0आर0 का गठन

1. रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा नियोजन विभाग/जिन प्रशासकीय विभागों के पास अपनी रू0 50.00 करोड़ से अधिक का कार्य कराने की क्षमता वाली (वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08.09.2015 द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी) निर्माण एजेन्सी को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जायेगा।

2. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल/प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रशासकीय विभाग को भवन हेतु उनकी आवश्यकताओं से अवगत कराने हेतु 07 प्रपत्र में सूचना प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित करेगें।

3. प्रशासकीय विभाग द्वारा 07 प्रपत्रों में भवन हेतु परियोजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को अंकित करते हुए आख्या मुख्य अभियन्ता, भवन सेल, तकनीकी सेल/प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी के मुखिया को प्रेषित की जायेगी। जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल/प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी के मुखिया द्वारा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी की फील्ड यूनिट को प्रारम्भिक आगणन हेतु अनुरोध किया जायेगा।

4. अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज प्रशासकीय विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी से सम्पर्क कर उनके द्वारा चिन्हांकित भूमि की माप के अनुसार अंकन कर ड्राईंग एवं 07 प्रपत्रों की सूचना 15 दिनों में लोक निर्माण विभाग के वास्तुविद् वर्ग/सम्बन्धित प्रथम श्रेणी निर्माण एजेन्सी के मुख्य वास्तुविद् को प्रेषित करेगें। तदानुसार लोक निर्माण विभाग/प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी के वास्तुविद् वर्ग द्वारा 15 दिनों में प्रारम्भिक ड्राईंग तैयार की जायेगी।

5. प्रारम्भिक ड्राईंग के आधार पर अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज पी0ए0आर0/प्रारम्भिक आगणन गठित कर तकनीकी सेल/सक्षम अधिकारी प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी को 15 दिनों में उपलब्ध करायेगें, जिसे प्रशासकीय विभाग को परामर्शी (डी0पी0आर0/पी0एम0सी0) को अनुबन्धित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

द्वितीय चरण– पी0एम0सी0 का चयन

1. प्रशासकीय विभाग से कार्य कराये जाने की सहमति प्राप्त होने पर परियोजना हेतु DPR परामर्शी/PMC परामर्शी (रू0 200.00 करोड़ से अधिक परियोजना हेतु DPR परामर्शी तथा Authority Engineer एवं रू0 200.00 करोड़ से कम की परियोजना पर PMC परामर्शी) के चयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता, तकनीकी सेल/सक्षम अधिकारी प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी द्वारा समाचार पत्रों/ई–पोर्टल पर RFP निर्गत किया जायेगा।

2. यदि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होगा तो PMC परामर्शी के EOI-cum-RFP का मूल्यांकन मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ई0पी0सी0 मिशन के कार्यों हेतु गठित

गवर्निंग बॉडी की दिनांक 08.02.2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक 46/35–1–2024 दिनांक 19.02.2024 द्वारा निर्धारित परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। यदि कार्यदायी संस्था प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी है तो सक्षम स्तर की समिति जो गठित की गयी हो द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।

3. इच्छुक परामर्शियों द्वारा RFP Submission, प्रस्तुतीकरण एवं परामर्शी मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन के आधार पर, अर्हता हेतु निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले परामर्शियों की वित्तीय बिड खोले जाने की संस्तुति की जायेगी। अधीक्षण अभियन्ता, तकनीकी सेल/प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्शी मूल्यांकन समिति की संस्तुति के अनुसार वित्तीय बिड ई–पोर्टल पर खोले जाने का नोटिस जारी किया जायेगा।

4. वित्तीय बिड खुलने के पश्चात् परामर्शियों हेतु परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा RFP के आधार पर प्रदत्त प्राप्ताकों के आधार पर QCBS (Quality Cost Based System) के आधार पर परामर्शियों के मूल्यांकन का अन्तिमीकरण किया जायेगा। मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले परामर्शी को H1 निविदादाता होने की संस्तुति करेगें एवं परामर्शी मूल्यांकन समिति की संस्तुति के अनुसार H1 परामर्शी के अनुबन्ध का गठन क्षेत्र द्वारा किया जायेगा। अनुबन्ध हेतु लोक निर्माण विभाग निर्माण एजेन्सी होने पर Employer सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र/अन्य के प्रकरण में प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथा Employer's Representative अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त/प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी एवं इंजीनियर अधिशासी अभियन्ता, इन्जीनियर–इन–चार्ज होगें।

तृतीय चरण–डी0 पी0 आर0 का गठन

1. परामर्शी द्वारा प्रशासकीय विभाग की निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार भवनों के निर्माण हेतु ले–आउट प्लॉन, आर्किटेक्चरल डिजाईन तथा कान्सेप्ट प्लॉन तैयार कर प्रशासकीय विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कान्सेप्ट प्लॉन पर हस्ताक्षर कराया जायेगा।

2. कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग होने की स्थिति में अनुमोदित कान्सेप्ट प्लॉन के अनुसार परामर्शी द्वारा परियोजना स्थल के मृदा परीक्षण के परिणामों के आधार पर गठित डी0पी0आर0 का परीक्षण मुख्यालय लखनऊ पर सम्बंन्धित मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0

एस0वाई0, लो0नि0वि0 की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें अधीक्षण अभियन्ता, भवन सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ सदस्य तथा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0 वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 सदस्य/संयोजक होगें, द्वारा की जायेगी। समिति द्वारा आगणन में लिये गये प्राविधानों का परीक्षण किया जायेगा एवं तद्दिनांक में प्रचलित प्लिन्थ एरिया रेट्स के सापेक्ष दरों में कमी अथवा अधिकता तथा विशिष्ट प्राविधानों के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल को प्रेषित किया जायेगा। मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल द्वारा परीक्षणोंपरान्त डी0पी0आर0 प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

3. नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 40/35–1–2023 दि0 28.02.2023 द्वारा श्री तारिक सिद्दीकी, वरिष्ठ शोध अधिकारी (वि0/याँ0), प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान को ई0पी0सी0 कार्यों के सम्पादन (वि0/याँ0 प्राविधानों का डी0पी0आर0 में परीक्षण इत्यादि) हेतु तकनीकी सेल से सम्बद्ध किया गया है।

चतुर्थ चरण– ई0पी0सी0 ठेकेदार का चयन

1. प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्य की स्वीकृति व्यय वित्त समिति से कराते हुए शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

2. परियोजना हेतु स्वीकृति का शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् ई0पी0सी0 ठेकेदार हेतु अधीक्षण अभियन्ता, तकनीकी सेल/ प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा आमंत्रण (NIT) निर्गत किया जायेगा।

3. शासनादेश सं0 24/2022/बी–2–218/दस–2022–एम–3/2019 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 दिनांक 07.10.2022 के क्रम में परियोजना के निर्माण कार्य हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जायेंगी, जिसमें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की निर्माण एजेन्सियों के साथ–साथ निजी क्षेत्रों की तकनीकी रूप से अर्ह (Eligible) निर्माण एजेन्सियाँ प्रतिभाग कर सकेगीं।

4. कार्यदायी संस्था लोक निर्माण होने की स्थिति में प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ई0पी0सी0 मिशन के कार्यों हेतु गठित गवर्निंग बॉडी की दि0 08.02.2024 को आहुत बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक 46/35–1–2024 दिनांक 19.02.2024 द्वारा निर्धारित तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रथम श्रेणी की

निविदा एजेन्सी के कार्यदायी संस्था होने के प्रकरण में सक्षम समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा।

5. तकनीकी मूल्यांकन समिति, निविदत्त लागत पर, सफल न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी। जिसे तकनीकी सेल द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग, कार्यदायी संस्था को त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

6. तकनीकी मूल्यांकन समिति की संस्तुति के क्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा सीधे एल0ओ0ए0 निर्गत करते हुए अनुबन्ध गठित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण होने की स्थिति में अनुबन्ध हेतु Employer सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र तथा Employer's Representative अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त एवं इंजीनियर अधिशासी अभियन्ता, इन्जीनियर–इन–चार्ज होगें। कार्यदायी संस्था प्रथम श्रेणी की निर्माण एजेन्सी होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशक Employer होगें।

पंचम चरण– कार्य सम्पादन/पर्यवेक्षण

1. लोक निर्माण विभाग के समर्पित भवन खण्ड के अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज का दायित्व निभायेंगे।

2. निर्माण कार्य का नियमित अनुश्रवण अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज द्वारा पी0एम0सी0 की सहायता से किया जायेगा। वि0/याँ0 कार्य का सम्पादन/अनुश्रवण, पी0एम0सी0 की सहायता से वि0/याँ0 अभियन्ताओं द्वारा कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक 437ईएम/11ई0डब्लू0–सीई/(ई/एम)–कम्पोजिट टेण्डर/23–24 दिनांक 30.01.2024 के अनुसार किया जायेगा।

3. परामर्शी द्वारा प्रदत्त आर्किटेक्चरल प्लानिंग तथा मूलभूत इन्जीनियरिंग के आधार पर ई0पी0सी0 कॉन्ट्रेक्टर द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग का कार्य कराया जायेगा तथा अपनी ड्राइंग एवं डिजाईन आई0आई0टी0/एन0आई0टी0 (IIT Delhi, Roorkee, Kanpur, IITBHU Varanasi तथा NIT प्रयागराज) से अनुमोदित (Proof Checked) कराते हुए इन्जीनियर–इन–चार्ज एवं पी0एम0सी0 को प्रस्तुत किया जायेगा, तदानुसार पी0एम0सी0 द्वारा कार्य हेतु अनुबन्धित ठेकेदार से विभिन्न चरणों में कार्यकारी ड्राइंग प्राप्त कर परीक्षण

एवं निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्रियों, कार्य विधि इत्यादि से सम्बन्धित तकनीकी एवं गुणवत्ता परीक्षणों का कार्य किया जायेगा।

4. परियोजना की नियमित समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा प्रतिमाह सम्बन्धित राजकीय निर्माण एजेन्सी की मण्डल स्थर पर उपलब्ध उच्चतम अधिकारी के साथ समीक्षा की जायेगी।

5. ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता हेतु थर्ड पार्टी तकनीकी आडिट अनुबन्ध में निर्धारित व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

6. कार्यो के स्टेज एप्रूवल के सम्बन्ध में RFI (Request for inspection) का पालन परियोजना में किया जायेगा। RFI तथा Quality Test का अनुश्रवण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/ इन्जीनियर–इन–चार्ज , पी0एम0सी0 एवं सहायक अभियन्ता द्वारा भी किया जायेगा।

7. समस्त निर्माण कार्यो में Electronic Measurement Book (eMB) की व्यवस्था रहेगी।

8. भवन निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने हेतु सुरक्षात्मक कार्यों का निर्धारण एवं प्रयोग किये जाने हेतु ड्राइंग्स एवं ले–आउट का परीक्षण एवं अनुमोदन इन्जीनियर–इन–चार्ज द्वारा पी0एम0सी0 की सहायता से किया जायेगा।

षष्टम चरण– भवन हस्तान्तरण

1. परियोजना की सम्भावित पूर्णता तिथि से क्रमशः 03 माह एवं 01 माह पूर्व लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। तदानुसार प्रशासकीय विभाग भवन/परियोजना के उपयोग में लाने की पूर्ण कार्ययोजना तैयार करेगें।

2. ई0पी0सी0 ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होते ही पी0एम0सी0, अधिशासी अभियन्ता/ इन्जीनियर–इन–चार्ज एवं मुख्य अभियन्ता/एम्पलॉयर को अवगत कराया जायेगा। कार्य पूर्णता का नोटिस प्राप्त होते ही 07 दिवसों के अन्दर अधिशासी अभियन्ता/ इन्जीनियर–इन–चार्ज, पी0एम0सी0 के साथ कार्य का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगें। यदि निर्माण में कोई कमी पायी जाती है तो उसका अविलम्ब निराकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज प्रशासकीय विभाग के नामित प्रतिनिधि को भवन की इन्वेन्ट्री अनुरक्षण ड्राईंग सहित 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराते हुए भवन हस्तानान्तरण का अनुरोध करेगें।

4. प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण में यदि कोई कमियाँ पाई जाती हैं तो एक माह के अन्दर समस्त कमियों से एक बार में ही अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज को अवगत कराया जायेगा। यदि एक माह में कोई कमी इंगित नहीं की जाती है तो भवन को स्वतः हस्तगत माना जायेगा एवं तदानुसार प्रशासनिक विभाग को पत्र प्रेषित किया जायेगा।

5. यदि प्रशासकीय विभाग द्वारा कमियाँ इंगित की जाती हैं तो पी0एम0सी0 द्वारा ई0पी0सी0 ठेकेदार से इंगित कमियों का यथाशीघ्र निराकरण कराते हुए अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज को अवगत कराया जायेगा तथा उनके द्वारा अविलम्ब प्रशासकीय विभाग से भवन हस्तगत हेतु पुनः अनुरोध किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्तर्गत सन्तुष्ट होते हुए भवन को हस्तगत किया जायेगा।

6. ई0पी0सी0 ठेकेदार के संतोषजनक कार्य पूर्ण करने पर, पी0एम0सी0 की संस्तुति के आधार पर अधिशासी अभियन्ता/इन्जीनियर–इन–चार्ज द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

7. ई0पी0सी0 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत As built drawings तथा Standard Measurement Book (SMB) का अनुमोदन एवं निर्मित भवन में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व ई0पी0सी0 ठेकेदार का तथा उसके अनुमोदन की जिम्मेदारी पी0एम0सी0 की होगी।